20.6.24 पत्रावली पेश हुई

प्रार्थी नवीन कुमार [illegible] बनाम सरकार उ0प्र0।

मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई

अवलोकन को कानूनगो / प्राप्त मौका रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन व विचारण किया गया।

चूँकि प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि भूमि में [illegible] में ख0नं0 724 व 725 स्थित हुए जिसमें ख0नं0 724 [illegible] रास्ते पर व ख0नं0 725 उक्त मेड़ 22 [illegible] गया जो रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं था। ख0नं0 725 के काश्तकार [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] रास्ते तक पहुंचने हेतु [illegible] आवेदन पत्र दिया, परन्तु बाद में ख0नं0 724 के काश्तकार [illegible] से प्रार्थी ने उक्त ख0नं0 724 की सम्पूर्ण भूमि मोल खरीद ली। अब वर्तमान में ख0नं0 724 में [illegible] [illegible] है जो [illegible] ख0नं0 पा8/22 व पा9/22 में [illegible] [illegible] ख0नं0 724 [illegible] [illegible] की भूमि [illegible] के नाम होने से रास्ता से जुड़ गया है। अतः [illegible] को तत्कालीन [illegible] की आवश्यकता नहीं है ख0नं0 पा8/22 [illegible] [illegible] है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा चाही गयी [illegible] के सम्बन्ध में वर्तमान में [illegible] सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के नाम [illegible] होने से तत्कालीन [illegible] की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन मौका रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर [illegible] [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी